प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उन्नाव।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 13 सितम्बर, 2022

विषय:-मे0, बालाजी प्रा0लि0, राजकोट, गुजरात को औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु ग्राम मखदूमपुर परगना गोरिन्दा परसन्दन तहसील हसनगंज जिला उन्नाव के उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 के अन्तर्गत 40.4688हे0 से अधिक भूमि क्रय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-686/डी0एल0आर0सी0/2022 दिनांक 07 मई, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 की उपधारा (3) व उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके मे0, बालाजी प्रा0लि0, राजकोट, गुजरात को औद्योगिक इकाई/फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु ग्राम मखदूमपुर, परगना गोरिन्दा, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव में 49.942 हे0 भूमि क्रय की पूर्वानुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु भूमि का संक्रमण अधिकृत संस्था मे० बालाजी वेफर्स प्रा० लि०, राजकोट, गुजरात के नाम भूमिधरों से आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा। दी गयी अनुमति से अधिक भूमि कदापि क्रय नहीं की जायेगी।

(2) यदि संस्था संहिता की धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा 89 (2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित/क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा 105 के परिणाम लागू होगे। परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी अनुज्ञा की अवधि को तदनिमित्त कारण अभिलिखित करने के पश्चात अग्रेतर तीन वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

(3) प्रश्नगत भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन अर्थात फूड प्रोसेसिंग यूनिट के उत्पादन हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर अनुमति शून्य समझी जायेगी और प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

-2-

1- शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) अनुसूचित जाति के भूमिधरों की भूमियों का संक्रमण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 98 में विहित प्राविधानों के तहत किया जायेगा। जिलाधिकारी उन्नाव द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संस्था द्वारा असंक्रमणीय श्रेणी के भूमिधरों की भूमि का कदापि क्रय न कर सके।

(5) संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में शासन की पूर्वानुमति के बिना हस्तान्तरण/ विक्रय नहीं किया जायेगा।

(6) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि के विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संस्था की 5.0586 हेक्टेअर से अधिक भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया जायेगा तथा ऐसे निहित के बदले कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।

(8) जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 यथा संशोधित की धारा-89 में वर्णित व्यवस्था एवं समय-समय पर निर्गत एतत् विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) उपरोक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय,
सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. प्राधिकृत अधिकारी, मे0, बालाजी प्रा0लि0, राजकोट, गुजरात, वजदी (वाद) कलावाड़ रोड, ता0 लोधिका, जनपद राजकोट-360021
5. गार्ड फाइल।

1- शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in